न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 46/2021

वादी :– श्रीमति शांति पुत्री स्व. ढगलाराम पत्नी बाबूलाल, जाति सीरवी निवासी ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्रीमति श्यामा पुत्री स्व. ढगलाराम पत्नी मोहनलाल, जाति सीरवी निवासी भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. श्रीमति ललिता पुत्री स्व. ढगलाराम पत्नी मालाराम जाति सीरवी निवासी बेरा धोरायत बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. श्रीमति कमलादेवी पत्नी बाबूलाल, जाति सीरवी निवासी पंवारों का बेरा भडाट बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :–वादी की ओर से श्री जी.एल. कंसारा अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक** :– 10/1/23

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खाता संख्या 836 के खसरा नम्बर 4481 रकबा 0.2427 हैक्टेयर स्थित है व खाता संख्या 86 के खसरा नम्बर 5009/2 रकबा 0.3641 हैक्टेयर सयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा है। ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. 1079 के खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4917 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4980 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4981 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671 रकबा 1.0113 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 687 रकबा 0.6391 हैक्टेयर,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 749 रकबा 2.4594 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 855 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.7200 हैक्टेयर कुल खसरा 14 कुल रकबा 13.6803 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की हिस्से की सयुक्त खातेदारी की। उक्त खसरान की भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खाता सं. 1018 के खसरा नम्बर 1277 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4398 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4440 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5001 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.4935 हैक्टेयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 5.1210 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा है। वादीया को घर में लाड प्यार से माडी व शान्ति के नाम से पुकारते है और वादीया का सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, बैक डायरी, भामाशाह कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत भावी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थीया का नाम शान्ति लिखा हुआ है। जब वादीया के पक्ष में विवादित भूमि का बैचाननामा निष्पादित किया गया उस समय बैचाननामा में वादीया के लाड प्यार का नाम माडीदेवी भूलवश या त्रुटिवश लिखवा दिया। बैचाननामा में वादीया का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है जिस कारण उपरोक्त खसरान की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में माडीदेवी दर्ज कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है, जबकि वादीया का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसका वास्तविक नाम शान्ति है तथा वादीया का शांति व माडीदेवी दोनो नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार शान्ति व माडीदेवी दोनो की नाम की एक ही महिला है। वादीया अभी तीन माह पूर्व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गई और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, परिचय पत्र, राशनकार्ड, बैक डायरी आदि दस्तावेज बैक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम शांति लिखा हुआ है और आपके पति का नाम बाबूलाल लिखा हुआ है और जमाबन्दी में माडीदेवी पत्नी पोकरराम लिखा हुआ है जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादीया को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे, इस कारण वादीया को अपने सयुक्त

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खातेदारी की उपरोक्त खसरान के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम माडीदेवी पत्नी पोकरराम के स्थान पर शांति पत्नी बाबूलाल के नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु यह दावा पेश करना पड़ रहा है। उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी के अपने 1/4 हिस्से की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी न्यायालय में कही कोई आपति एतराज या अपील रिवीजन आदि पेश नही की है। अन्य सयुक्त खातेदारान का कोई हक व हिस्सा प्रभावित नही होता है। इस कारण वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादीया को घर पर लाड प्यार से माडीदेवी व शांति दो नाम से पुकारते है, इस कारण वादीया ने उपरोक्त खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड भूलवश तथा बिना कानून की जानकारी के अज्ञानतावश माडीदेवी पत्नी पोकरराम दर्ज करवा दिया, जबकि वादीया के सरकारी दस्तावेज में वादीया का नाम शांति पत्नी बाबूलाल का नाम दर्ज है। अतः वादीया का नाम तथा उसके पति का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में गलत अंकित करना एक मानवीय भूल तथा कानून की अज्ञानतावश से रह गयी, जिसे घोषणा के जरिये दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम माडीदेवी पत्नी पोकरराम के स्थान पर शांति पत्नी बाबूलाल की खातेदारी काश्तकारी की घोषित किये जाने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार ने जवाब पेश कर किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी एस.बी. के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के खाता सं. 836 में माडीदेवी पत्नी पोकरराम, खाता संख्या 86 में माडी पत्नी पोकरराम 1/6 खाता सं. 1079 में माडीदेवी पुत्री ढगलाराम 1/4, खाता सं. 1018 में माडीदेवी पतनी पुत्री ढगलाराम 1/4 हिसस राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 4481 वादी द्वारा क्रय की जाने से जरिये नामा. सं. 2866 व खसरा नम्बर 5009 क्रय की जाने से जरिये नामा. सं. 2865 राजस्व रेकर्ड में माडी पत्नी पोकरराम दर्ज हुआ। खाता सं. 253 जमाबन्दी सं. 2039 से 2042 में तिलाराम फौत होने से सेमली, माडी पुत्रिया ढगलाराम रेकर्ड में दर्ज हुआ। जबकि वादी राजस्व रेकर्ड में माडी पत्नी पोकरराम के स्थान पर शान्ति पत्नी बाबूलाल के नाम की खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जवाब हेतु अवसर प्रदान किये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ने जवाब पेश नही कर सीधे बहस में भाग लिये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का जवाब बंद हो जाने तथा वादी के पक्ष में अपनी साक्ष्य पेश करने से पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नही तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 6 पेश किये। वादी की साक्ष्य अखण्डित रही।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया का नाम माडीदेवी पत्नी पोकरराम के स्थान पर श्रीमति शान्तिदेवी पत्नी बाबूलाल है लेकिन भूलवश वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में माडीदेवी पत्नी पोकरराम दर्ज कर लिया गया, जिसके सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये तथा प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी दौराने बहस निवेदन किया कि वादीया का नाम माडीदेवी पत्नी पोकरराम के स्थान पर शान्तिदेवी पत्नी बाबूलाल किया जाता है तो सहखातेदारान/प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है अपितु इसमें प्रतिवादीगण सहमत है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद के वाद को स्वीकार किये जाने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खाता संख्या 836 के खसरा नम्बर 4481 रकबा 0.2427 हैक्टेयर व खाता सं. 1079 के खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4917 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4980 रकबा 0.3641 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4981 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671 रकबा 1.0113 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 687 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 2.4594 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 855 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.7200 हैक्टेयर कुल खसरा 14 कुल रकबा 13.6803 हैक्टेयर व खाता सं. 1018 के खसरा नम्बर 1277 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4398 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4440 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5001 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.9061 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.4935 हैक्टेयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 5.1210 हैक्टेयर व खाता

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या 86 के खसरा नम्बर 5009/2 रकबा 0.3641 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का नाम माडीदेवी पत्नी पोकरराम के स्थान पर शान्तिदेवी पत्नी बाबूलाल की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/1/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादी :– श्रीमति शांति पुत्री स्व. ढगलाराम पत्नी बाबूलाल, जाति सीरवी निवासी ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्रीमति श्यामा पुत्री स्व. ढगलाराम पत्नी मोहनलाल, जाति सीरवी निवासी भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. श्रीमति ललिता पुत्री स्व. ढगलाराम पत्नी मालाराम जाति सीरवी निवासी बेरा धोरायत बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. श्रीमति कमलादेवी पत्नी बाबूलाल, जाति सीरवी निवासी पंवारों का बेरा भडाट बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 46 / 2021

निर्णय दिनांक :– 10/1/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गिरधारीलाल
कंसारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री गणपतलाल
चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील
बिलाड़ा की सरहद में स्थित खाता संख्या 836 के खसरा नम्बर 4481 रकबा 0.2427 हैक्टेयर
व खाता सं. 1079 के खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा
1.6746 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 1.2054 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4917 रकबा 0.6229
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4928 रकबा 0.5178 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4980 रकबा 0.3641
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4981 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000 रकबा 0.9708
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5000/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671 रकबा 1.0113
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 687 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 2.4594 हैक्टेयर,
खसरा नम्बर 855 रकबा 1.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.7200 हैक्टेयर कुल
खसरा 14 कुल रकबा 13.6803 हैक्टेयर व खाता सं. 1018 के खसरा नम्बर 1277 रकबा
1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4398 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4440 रकबा 0.2265
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4906 रकबा 0.6553 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4907 रकबा 0.0081
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5001 रकबा 0.5825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 674 रकबा 0.9061 हैक्टेयर,
खसरा नम्बर 739 रकबा 0.4935 हैक्टेयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 5.1210 हैक्टेयर व खाता
संख्या 86 के खसरा नम्बर 5009/2 रकबा 0.3641 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादी का
नाम माडीदेवी पत्नी पोकरराम के स्थान पर शान्तिदेवी पत्नी बाबूलाल की घोषित की जाती
है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को
आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/1/23 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा